


3/3/23

पहावली आज रावे की पहावली के साथ  
हुई। रावा वादी विज्ञे किए जाने के कारण उर्ध्व  
के द्वारा प्र. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का विज्ञे करने  
देनु कहे जाने पर उर्ध्वी का प्र. पत्र अस्थायी  
निषेधाज्ञा का विज्ञे (अंशरिज) किया जाता है।  
प्र. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंशरिज किए जाने  
से न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 7/12/22 का  
अवधान हो गया है पहावली वाद तत्काल वापस  
पत्र हो।

संजुता इतानिया

  
उपस्थिति अधिकारी  
उपस्थिति अधिकारी (जयपुर)